संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:-17/01//2023

क्रमांक 324 /टीसी/74/जबलपुर(भेड़ाघाट)/उपां/नग्रानि/2021 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट **भेड़ाघाट** विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.)	आवेदित रकबा (हेक्टे.)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1	ग्राम घाना (भेड़ाघाट) तहसील एवं जिला जबलपुर	27/2	0.8200	0.8200	0.8200	नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र से 300 मीटर तक वृक्षारोपण, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा कृषि	नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र से 300 मीटर तक वृक्षारोपण एवं आवासीय
2		29/2	0.6100	0.6100	0.6100	नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र से 300 मीटर तक वृक्षारोपण तथा कृषि	नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र से 300 मीटर तक वृक्षारोपण एवं आवासीय
3		36/2	0.8400	0.8400	0.8400	नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र से 300 मीटर तक वृक्षारोपण तथा कृषि	नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र से 300 मीटर तक वृक्षारोपण एवं आवासीय
4		37	1.8200	1.8200	1.8200	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, प्रस्तावित वाणिज्यिक तथा कृषि	आवासीय
5		89/1 89/2	1.5200 3.1100	4.6300	4.6240	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, प्रस्तावित वाणिज्यिक, आवासीय तथा कृषि	आवासीय
6		90/2	0.5300	0.5300	0.5300	नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र से 300 मीटर तक वृक्षारोपण, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा कृषि	नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र से 300 मीटर तक वृक्षारोपण एवं आवासीय

7		106	0.7900	0.3200	0.3200	नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र से 300 मीटर तक वृक्षारोपण, कृषि	नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र से 300 मीटर तक वृक्षारोपण, आवासीय एवं मार्ग
8		107	0.3500	0.3500	0.3500	कृषि	आवासीय
9		108	0.4500	0.1800	0.1800	नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र से 300 मीटर तक वृक्षारोपण तथा कृषि	नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र से 300 मीटर तक वृक्षारोपण एवं आवासीय
10		109/1	0.1200	0.0900	0.0900	नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र से 300 मीटर तक वृक्षारोपण तथा कृषि	नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र से 300 मीटर तक वृक्षारोपण एवं आवासीय
11		153	1.0500	1.0500	1.0500	कृषि	आवासीय तथा मार्ग
	कुल रकबा		**12.0100**	**11.2400**	**11.2340**		

नोट :-

उपांतरण हेतु प्रस्तावित कुल रकबा 12.0100 हेक्टेयर भूमि का कुछ भाग आवासीय, वाणिज्यिक एवं नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र से 300 मीटर तक वृक्षारोपण होने के कारण कुल रकबा 11.2340 हेक्टेयर भूमि का उपांतरण निम्न शर्तो के आधार पर प्रस्तावित है।

शर्त :-

1. **प्रश्नाधीन भूमि नर्मदा नदी से लगकर स्थित होने के कारण भेड़ाघाट विकास योजना, 2021 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत नर्मदा नदी से 300 मीटर तक की भूमि वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा तथा इस सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की नैसर्गिक स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जावेगा।**
2. **राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 7 की प्रस्तावित चौड़ाई हेतु आवश्यक भूमि सुरक्षित रखा जाना तथा प्रस्तावित कंट्रोल एरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार विकास किया जाना अनिवार्य होगा।**
3. **प्रश्नाधीन भूमि में से नर्मदा नदी की ओर जाने वाले 9.00 मीटर चौड़े सार्वजनिक मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर प्रस्तावित कर 12.00 मीटर चौड़ मार्ग का विकास किया जाना अनिवार्य होगा।**

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियॉ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

D:\LKI\upantaran 23k1k\New 23 k 1 kha.docx